



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(I.S.O. 9001 : 2015 एवं I.S.O. 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री यशपाल सिंह द्वारा खसरा संख्या-612 क्षेत्रफल 841.00 वर्ग मी० ग्राम टीला शाहबाजपुर, गाजियाबाद पर सामुदायिक सुविधाएं की भूमि पर पेट्रोल पम्प हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। लोनी महायोजना-2021 के अनुसार 45मी० चौड़े महायोजना मार्ग के मार्गाधिकार के उपरान्त शेष भाग सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। महायोजना-2021 में निहित जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रिया सशर्त अनुमत्य है, जिस हेतु स्थल न्यूनतम 24 मी० चौड़े मार्ग पर विद्यमान होना अनिवार्य है। सन्दर्भित स्थल 45 मी० चौड़े महायोजना मार्ग पर स्थित है तथा वर्तमान में स्थल पर 24.00 चौड़ी सड़क विद्यमान है। जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार पेट्रोल पम्प क्रिया सशर्त अनुमत्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन-सामान्य से एक माह हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त के प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल: helplinegda@gmail.com, [f](https://www.facebook.com/GdaGhaziabad) : @ Gda Ghaziabad [i](https://www.instagram.com/gdagzb) : @ gdagzb
हेल्पलाइन नं०: 0120-4418384, व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर - हमारा संकल्प

Size:8x9 cms